

Detailed advertisement to be posted on the website

REQUIRED

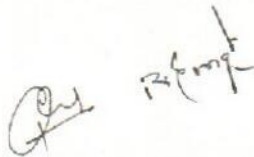
Members for Consumer Grievance Redressal Forums of UPCL

UPCL is on look out for eminent persons for appointment in the Consumer Grievance Redressal Forums constituted under section 42(5) of the Electricity Act, 2003 as follows:

- (i) Consumer Member in Consumer Grievance Redressal Forum at Dehradun, Haldwani, Rudrapur and Haridwar.
- (ii) Technical Member in Consumer Grievance Redressal Forums at Karanprayag.

Eligibility Criteria and Other Conditions

- (1) Consumer member shall be nominated by the Commission and shall be a person of stature and repute having at least 15 years exposure to and experience of issues pertaining to consumers of electricity.
- (2) Technical Member shall be a retired officer of any Distribution Licensee company, not below the rank of Superintending Engineer possessing degree in Electrical/ Mechanical / Electronics / Computer Engineering and having at least 15 years overall experience of working in distribution utility or a person possessing degree in Electrical/ Mechanical / Electronics / Computer Engineering and having at least 20 years overall experience in power sector.
- (3) Any person, who has earlier served the position as a full time member and completed his tenure in a Forum, shall be eligible to apply in the same Forum, only after a gap of two years from the date of completion of his tenure, however, he shall be eligible to apply in other Forums established under the Distribution Licensee.
- (4) Members of the Forum shall hold office for a term of three years which may be extendable upto two years. The upper age limit for the appointment of the member shall be 65 years and can hold the office only upto the age of 68 years.
- (5) The full time Member would be entitled to a consolidated salary of Rs. 65,000/- per month with 5% annual increment.
- (6) The Member would be entitled to TA & DA, telephone at residence in accordance with rules applicable to Chief Engineer (Level-II) of UPCL.



- (7) Powers and Functions and other terms & conditions of the Member shall be governed by UERC (Guidelines for appointment of members and procedure to be followed by the forum for redressal of grievances of the consumers) Regulations, 2019 and its amendments as may be issued from time to time, which may be seen /downloaded from Commission's website www.uerc.gov.in

There is no prescribed format for application and candidates are free to devise their own format covering and justifying their suitability as per requirement given herein. Interested persons may send their application giving full details of their qualifications, experience, E-mail address / Contact no. etc. for the above positions to the Managing Director, Uttarakhand Power Corporation Limited, VCV Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun. Persons must mention on top of the envelope "Application for the post of". The last date for receipt of the application is 25-10-2026.

Managing Director



वेबसाइट पर अंकित किये जाने हेतु विस्तृत विज्ञापन

आवश्यकता है

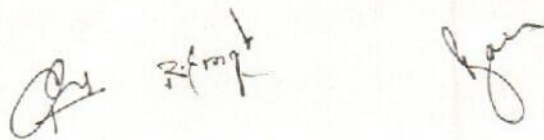
यूपीसीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के लिये सदस्यों की

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) के अन्तर्गत यूपीसीएल द्वारा गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में नियुक्ति के लिये योग्य व्यक्तियों से आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:

- (i) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच— देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर एवं हरिद्वार हेतु उपभोक्ता सदस्य।
- (ii) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच— कर्णप्रयाग हेतु तकनीकी सदस्य।

पात्रता एवं अन्य शर्तें

1. उपभोक्ता सदस्य आयोग द्वारा नामित किया जायेगा एवं वह ऐसे गणमान्य व विख्यात व्यक्ति होगा, जिसने विद्युत उपभोक्ताओं से सम्बन्धित जानकारी को निकट से देखा हो एवं इनका उसे कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो।
2. तकनीकी सदस्य किसी वितरण अनुज्ञापिधारी कम्पनी का सेवा निवृत्त अधिकारी होगा, जो अधीक्षण अभियन्ता से नीचे के पद का न हो व इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी हो तथा जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन यूटीलीटी में काम करने का कम से कम 15 वर्ष का समग्र अनुभव हो, अथवा इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी हो और ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का कम से कम 20 वर्ष का समग्र अनुभव हो।
3. कोई व्यक्ति, जिसने पूर्व में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मंच में कार्य किया हो तथा अपना कार्यकाल पूर्ण किया हो, तो वह उसी मंच में सदस्य के लिये अपना कार्यकाल पूरा होने की तिथि से दो वर्ष के अन्तराल के उपरान्त ही आवेदन के लिये अर्ह होगा। हालांकि वह वितरण लाइसेन्सी के अन्तर्गत स्थापित अन्य मंचों में आवेदन के लिये अर्ह होगा।
4. सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के लिये की जाती है जिसे 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति के समय सदस्य की आयु अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिये तथा सदस्य अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक सदस्य पद पर बना रह सकता है।



5. पूर्णकालिक सदस्यों को रु0 65,000 प्रति माह समेकित वेतन के रूप में देय है। इस वेतन में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अनुमन्य है।
6. सदस्य को यूपीसीएल के मुख्य अभियन्ता (स्तर -II) के समान टी.ए., डी.ए. तथा आवास पर दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी।
7. सदस्य के कार्य, शक्तियां तथा अन्य नियम व शर्तें उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग - दर्शिका) विनियम, 2019 तथा इसके समय-समय पर निर्गत संशोधन से नियंत्रित (govern) होगी। ये विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन के लिये कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है तथा उम्मीदवार पद पर अपनी उपयुक्तता के अनुसार आवेदन का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता, अनुभव, ई-मेल पता / फोन न0 आदि का विवरण अंकित करते हुये अपना आवेदन पत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून को भेज सकते हैं। लिफाफे के ऊपर "उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच मेंसदस्य के लिये आवेदन पत्र" लिखा होना चाहिये। आवेदन प्राप्त करने की अंन्तिम तिथि 25-10-2026 है।

प्रबन्ध निदेशक

